



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं/Ref.No. 43/NGT OANb. 800/2023/2024-25

दिनांक/Date...06/04/2024
By E-mail

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110001.

Sub: Regarding Submission of Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 05.01.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 800 of 2023 In the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 05.01.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No 800 of 2023 in the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others. The Action Taken Report on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures:As above

Sincerely Yours,

(Dr. S.C. Shukla) 06/4/24
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Law Officer (I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

/
Regional Officer

Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 05.01.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 800 of 2023 In the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others.


That the Hon'ble N.G.T, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 05.01.2024 in Original Application No. 800 of 2023 in the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others has passed the directions. The relevant excerpt of the order is as below:-

"..... 4. We are of the view that once the communication has been sent by the RO then Member Secretary, UPPCB is duly required to consider the said communication and take appropriate action in accordance with law.

5. Hence, at this stage no interference in this OA is required. The original application is disposed of expecting that the Member Secretary, UPPCB will take expeditious action in accordance with law on the communication dated 25.10.2023.. .."

Action Taken Report

1. That in this original application the grievance raised by the applicant is that the Project Proponent i.e. respondent no. 5 namely M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur, Uttar Pradesh is running



without consent to establish and consent to operate from the State PCB in violation of the various orders of the court.

2. That Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereafter referred as UPPCB) vide letter dated 22.11.2023 has issued show cause notice for closure under section 31A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the brick kiln i.e. M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka), Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur, Uttar Pradesh in question for operation of brick kiln without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the Show Cause Notices dated 22.11.2023 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this report.
3. That further in pursuance to a show cause notice dated 22.11.2023, UPPCB vide letter dated 10.01.2024 has issued closure order under Section 31A of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 with the directions to the respective District Magistrate and District Head of the Police for the implementation of closure order against the brick kiln in question for operation of brick kiln without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.



The copy of the closure order dated 10.01.2024 is being annexed herewith as Annexure-2 to this report.

4. That in pursuance to a closure order dated 10.01.2024, The District Magistrate, Jaunpur vide office order dated 18.01.2024 has constituted the five member committee for the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question. The copy of the office order dated 18.01.2024 is being annexed herewith as Annexure-3 to this report.
5. That in pursuance to District Magistrate, Jaunpur order dated 18.01.2024, the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question was done by the officials of the above committee on 07.03.2024. A copy of the compliance report dated 07.03.2024 along with photographs is being annexed herewith as Annexure-4 to this report.

The above action taken report on behalf of the UPPCB is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.



06/4/24

(Dr SC Shukla)
Regional Officer,
UP Pollution Control Board,
Varanasi.

28/11/23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 403/59 / वृत्त-6 / ईट भट्टा-685 / का0ब0नो0 / वाराणसी / 2023

दिनांक 28/11/23

सेवा में,

मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का),
ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत,
जनपद-जौनपुर।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी तथा कोयले का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट प्रतिदिन का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 22.10.2023 को किया गया। उक्त ईट भट्टा ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2022-23 से स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय श्री मुन्नी लाल, मुंशी ईट भट्टे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा उत्पादनरत नहीं पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानानुसार स्थापित ईट भट्टे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली के 04 से 05 मकान तथा लगभग 275 मीटर की दूरी संतोषी माँ कन्या विद्यापीठ विद्यालय व लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की मुख्य आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा में ईट भट्टे से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-मीरपुर की 8-10 घर की आबादी स्थित है। उत्तर दिशा में ईट भट्टे से लगभग 115 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की 7-8 घर की आबादी तथा 500 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्टा व सैदपुर-खजुरहट सम्पर्क मार्ग स्थित है। दक्षिण दिशा में ईट भट्टे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-बददपुरा की मुख्य आबादी व लगभग 450 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बददपुरा स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 225 मीटर की दूरी पर मेसर्स राज ईट उद्योग (गंगा मार्का) स्थित है। उत्तर-पूरव दिशा में ईट भट्टे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर देवकली बाजार व लगभग 450 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, देवकली स्थित है। उक्त ईट भट्टा का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में लगभग 3.0 टन कोयला प्रतिदिन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ईट भट्टे में पल्यू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टे को स्थापनार्थ सहमति (सी.टी.ई.) एवं संचालन हेतु सहमति (वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।

उक्त परिस्थितियों में ईट भट्टे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

.....2/-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@unncb.in - Web Site: www.unncb.com

28/11/23

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
पृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर।
4. जिला खनन अधिकारी, जौनपुर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि 15 दिन में ईट भट्टे का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
पृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H05485/सी-6/ईट भट्ठा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023

Dated 16-1-24

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर0 एस0 मार्का),
ग्राम-देवकली,
तहसील-कैराकत,
जनपद-जौनपुर।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर0 एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-कैराकत, जनपद-जौनपुर, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी तथा कोयले का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर0 एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-कैराकत, जनपद-जौनपुर, ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को किया गया। उक्त ईट भट्ठा ग्राम-देवकली, तहसील-कैराकत, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2023-2024 में स्थापित है। निरीक्षण के समय श्री अजीत विक्रम सिंह, ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा में उत्पादन रत नही पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानुसार स्थापित ईट भट्ठे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली के 04 से 05 मकान तथा लगभग 275 मीटर की दूरी संतोषी माँ कन्या विद्यापीठ विद्यालय व लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की मुख्य आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा में ईट भट्ठे से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-मीरपुर की 8-10 घर की आबादी स्थित है। उत्तर दिशा में ईट भट्ठे से लगभग 115 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की 7-8 घर की आबादी तथा 500 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्ठा व सैदपुर-खजुरहट सम्पर्क मार्ग स्थित है। दक्षिण दिशा में ईट भट्ठे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-बददपुर की मुख्य आबादी व लगभग 450 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बददपुरा स्थित है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 225 मीटर की दूरी पर मेसर्स राज ईट उद्योग (गंगा मार्का) स्थित है। उत्तर-पूरब दिशा में ईट भट्ठे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर देवकली बाजार व लगभग 450 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, देवकली स्थित है। उक्त ईट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्ठे में लगभग 3.0 टन कोयला प्रतिदिन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ईट भट्ठे में पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊंची फिक्स चिमनी स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्ठे को स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।

उक्त परिस्थितियों में ईट भट्ठे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

T/C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

1 Impendent

SAC/12V

for time

21/1/24

21/1/24

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर०एस० मार्की), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, के विरुद्ध वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर०एस० मार्की), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. पुलिस अधिक्षक, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर।
4. जिला खनन अधिकारी, जौनपुर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे को जारी बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर

पत्रांक : 2024/गगन ईट उद्योग/399/2023-24
आदेश

दिनांक : 18-01-2024

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच 05485/सी-6/ईट भट्टा-685/बन्दी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर०एस०माका), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की टीम गठित की जाती है :-

1. उपजिलाधिकारी, जौनपुर।
2. थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जौनपुर।
4. जिला खान अधिकारी, जौनपुर।
5. श्री सी०पी० वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

उक्त संयुक्त टीम के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि तीन दिन के अन्दर उक्त संदर्भित ईट भट्टा के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर

पत्रांक एवं दिनांक : उपरोक्त।




प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक, जनपद-जौनपुर को इस आशय के साथ कि थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर को अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।
2. सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्की), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच 5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं तत्सम्बन्ध में बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-जौनपुर के पत्र संख्या-2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या।

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्की), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-एच 5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या-2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी। संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 07/03/24 को उक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्की), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन ईट भट्टा प्रतिनिधि की उपस्थित में कराया गया तथा बन्दी आदेश की प्रति भी प्राप्त करायी गयी। बन्दी के दौरान उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।

क्र०सं०	नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	शुभाराम शर्मा तहसीलदार, केराकत जौनपुर	
2.	सुबेन्द्र सिंह जिला थान सिविल जौनपुर	
3.	सी पी वरमा जे० एल० उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड काठगारी	
4.	रमकान्त मिश्र उपनिवेश थान केराकत जौनपुर	
5.	रमकान्त कुमार जे० एल० उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड काठगारी	
	इसके अति शरारती थाना केराकत जौनपुर के बन्दी आदेश का अनुपालन हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है।	


07/03/24

(अधीनस्थ)
जि० म० ज० म०

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच 5485/सी-6/ईट भट्ठा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं तत्सम्बन्ध में बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-जौनपुर के पत्र संख्या-2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या।




मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-एच 5485/सी-6/ईट भट्ठा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या-2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी। संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 07/03/24 को उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन ईट भट्ठा प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया गया तथा बन्दी आदेश की प्रति भी प्राप्त करायी गयी। बन्दी के दौरान उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।

क्र०सं०	नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	मूसाराम थाक तहसीलदार, केराकत जौनपुर	
2.	सुखेन्द्र सिंह जिला थान मिरात जौनपुर	
3.	सी० पी० वर्मा के० एच० उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड वाराणसी	
4.	रामान्त मिश्र उपनिरीक्षक थाना केराकत जौनपुर	
5.	रमप्रीत कुमार अध्यापक उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड वाराणसी	
	इसके अति श्राव को थाना केराकत जौनपुर को बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु लखनऊ किया जाता है।	

07.3.24



(अज्ञात सिंह)
जि० आर० उ० प्र० बोर्ड



मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर0एस0मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 10.01.2024 द्वारा जारी बन्दी आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, जौनपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त टीम द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन किये जाने के समय लिए गये फोटोग्राफ्स।